तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
15/11/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-17/1/19-को पेश हो।
17/1/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-10/4/19-को पेश हो।
10/4/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-7/6/19-को पेश हो।
7/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-25/9/19-को पेश हो।
25/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-20/11/19-को पेश हो।
20/11/19	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। बहस उभयपक्षगण अधिवक्तागण की सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि भूमि खसरा नं० 2458 रकबा 1.05 हेक्टर तक ग्राम मावंट तहसील खण्डेला का वादी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो वादी की भूमि पर गलत कब्जा करने व भूमि से वादी से वादी को बेदखल करने व खर्च खुर्द का रोक नीव नहर

क्रमं	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने पर उतारू है अतः इनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब नहीं दिया जाकर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। दौराने बहस कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की सीमा डोल नष्ट नहीं की गई है ना ही कब्जा काश्त में मदाखलत की जा रही है। वादी ने केवल मात्र हैरान परेशान करने की नियत से वाद पत्र पेश किया है जो खारीज योग्य है। हमने बहस वकलाय सुनी। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आदेश दिया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि ख०नं० 2483 रकबा 1.05 है० तन ग्राम कांवट पटवार हल्का कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप नहीं करें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (RJAS)	

Scanned by CamScanner